

ज्ञापांक.....4731...../आपूर्ति

71-1-4-2008

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-20/04/2017

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना

विषय- निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2017-18 के प्रकाशन के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2016-17 की पाँच प्रतियाँ (सी0डी0 सहित) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के अगले दो संस्करणों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय साथ ही पी0आर0डी0 वेबसाइट पर भी प्रसारित करने की कृपा की जाय।

इस निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन किन-किन समाचार पत्रों में किया गया इसकी सूचना देने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोपरि।

20/4/17

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0),  
बिहार, पटना

प्रतिलिपि:-

1. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ। कृपया इसे आज ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

**बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना ।**  
**निविदा आमंत्रण सूचना सं०-०२/२०१७-१८**

1. विभाग का नाम- पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।
2. विज्ञापन दाता का नाम एवं पता- पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(क्यू), बिहार, पटना ।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय दिनांक- 22/05/2017 - 02:00 बजे अपराहन तक ।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय दिनांक- 22/05/2017 - 04:00 बजे अपराहन ।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान- पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना के कार्यालय भवन के मुख्य द्वार पर रखी निविदा पेटी ।
6. कार्य का व्योरा- बिहार पुलिस में उपलब्ध खाली खोखा का विक्रय ।

**निविदा संख्या-०२/२०१७-१८ के नियम एवं शर्त**

1- इस मद के लिए निविदायें सिर्फ बिहार में स्थित इकाईयों या राज्य के बाहर उत्पादनरत इकाईयों के स्थानीय कॉरपोरेट कार्यालय/ स्थानीय कार्यालय/ विक्रेता/ एजेंट/ आपूर्तिकर्ता/ प्राधिकृत डीलर के द्वारा ही दी जाएगी लेकिन सफल निविदादाताओं को क्रयादेश के पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण पत्र देना होगा । अधिकृत विक्रेता/ प्राधिकृत डीलर या एजेंट को उनके उत्पादनकर्ता फर्म का प्राधिकार पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

2- निविदा दो भागों - (1) तकनीकी भाग तथा (2) वित्तीय भाग के रूप में ली जाएगी ।

3- तकनीकी भाग में पैन नम्बर, वार्षिक टर्न ओवर की कॉपी, बिहार राज्य विक्री कर निबंधित प्रमाण-पत्र, अद्यतन वाणिज्य कर चुकता प्रमाण-पत्र एवं निविदा में उल्लेखित अन्य सभी आवश्यक कागजात (टेक्नो-कमर्सियल प्रोफाइल), तथा अन्य शर्तों का प्रमाण पत्र, आपूर्ति से संबंधित शर्तें, अग्रधन की वांछित राशि आदि अन्य सभी आवश्यक अभिलेखों की स्पष्ट छायाप्रति देना होगा अन्यथा निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा । जिसकी जिम्मेवारी विभाग की नहीं होगी ।

4- वित्तीय भाग में सिर्फ मद का प्रति किलो दर सभी कर सहित अंकित करेंगे । अंकित दर में कोई कटिंग/ ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगा तथा ऐसी निविदा को अस्वीकृत किया जा सकेगा । मद के लिए वित्तीय भाग अलग लिफाफा में बंद कर उसके उपर मद का नाम लिखकर एक लिफाफे में बंद कर देना होगा ।

5- तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग दो अलग-अलग लिफाफे में सीलबंद रहेंगे तथा दोनों लिफाफों के उपर निविदा सं०-०२/२०१७-१८ का तकनीकी भाग तथा निविदा सं०-०२/२०१७-१८ का वित्तीय भाग अंकित रहेगा । इन लिफाफों पर फर्म का नाम एवं पता अंकित रहेगा । **ये दोनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबंद रहेंगे जिसके उपर सिर्फ निविदा सं०-०२/२०१७-१८ अंकित रहेगा । फर्म का नाम एवं पता इस पर अंकित नहीं रहेगा ।**

6- निविदा के तकनीकी भाग निर्धारित समय एवं तिथि को पुलिस मुख्यालय में खोला जायेगा । उक्त अवसर पर निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

7- निविदाकृत मद के लिए मात्र एक दर (सभी कर सहित) स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए । निविदा में अस्पष्ट सूचना यथा "कर आवश्यकतानुसार" इत्यादि अंकित नहीं होना चाहिए ।

8- मदों के लिए व्यक्त दर संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक के लिए मान्य होगा । 31 मार्च से कम अवधि के लिए व्यक्त दर मान्य नहीं होंगे ।

9- विनष्ट खोखा प्रति किलों नेट दर वाली निविदा ही स्वीकार की जायेगी ।

10- निविदा के साथ अद्यतन आयकर रिटर्न, पैन नंबर तथा निर्माणकर्ता/ट्रेडर इत्यादि होने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करेंगे ।

11- पिछले तीन वर्ष में का आयकर रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट/प्रोफिट एण्ड लॉस अकाउंट एवं बैलेंस शीट का अभिप्रमाणित प्रति किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित कराकर (मुहर सहित) निविदा के साथ समर्पित की जाए ।

12- निविदा के साथ व्यानाधन के रूप में 5,00,000/- (पाँच लाख) रूपये मात्र, पोस्टल सेविंग पासबुक/बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या बैंक गारंटी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू), बिहार, पटना के पद नाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना में बंधित कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

13- निविदा के साथ दो करोड़ का Bank Solvency Certificate भी जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

14- निविदा में भाग लेने वाले फर्म का वित्तीय वर्ष 2015-16 का चार्टर एकाउण्डेन्ट के द्वारा ऑडिटेड बैलेन्सशीट जिसका टर्न ओवर लगभग रू0 5.00 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए जमा किया जाना अनिवार्य है ।

15- निविदादाता ने अपनी निविदा के तकनीकी भाग में कौन-कौन से अनुलग्नक संलग्न किए हैं उसकी सूची का उल्लेख फर्म के लेटर पैड पर करना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि अनुलग्नित सभी कागजात उनके जानकारी के अनुसार सत्य है ।


16- निविदा खुलने के पश्चात् निविदा से संबंधित किसी प्रकार का कागजात स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

17- खाली खोखा को गन फैक्ट्री, मुंगेर से अनुमोदित दर पर नगद भुगतान कर निविदादाता को स्वयं अपने खर्च से उक्त मद संग्रहित करना होगा ।

18- खाली खोखा के क्रय हेतु योग्य फर्म को आदेश निर्गत की तिथि से छः माह के अन्दर सभी उपलब्ध खाली खोखा का उठान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा इस संबंध में आर्थिक दण्ड वसूल की जायेगी । इसके लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

19- पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दे या निर्धारित मर्दानों में आवश्यकतानुसार वर्णित मात्रा को घटा दे या बढ़ा दें ।

निविदा के नियमों, शर्तों की जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू), बिहार, पटना के दूरभाष सं0-0612-2215295 पर सम्पर्क किया जा सकता है, कार्यालय के सूचना पट तथा वेबसाइट [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) or [www.biharpolice.bih.nic.in](http://www.biharpolice.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है ।

  
 20/4/17  
 पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू)  
 बिहार, पटना